सेन्ट्रल जोन इंश्योरेन्स एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से सम्बद्ध)

प्रभांजलि, 33, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कामकाजी महिला समन्वय समिति

परिपत्र/विशेष **दिनांक : 22.02.2017**

मध्य क्षेत्र के समस्त बीमा कर्मियों के नाम

प्रिय साथियों,

विषय : 8 मार्च - अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। आज समाज में महिलाओं ने अपने संघर्षों से जो मुकाम हासिल किया है उनके प्रेरणास्त्रोत रहे हैं अमेरिका की कामकाजी महिलाओं के संघर्ष। महिलाओं को तो बचपन से संस्कारित किया जाता है सहन करने के लिए, इसके बावजूद महिलाओं ने संघर्ष का रास्ता अपनाया, स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि शोषण किस स्तर का रहा होगा। ज्ञातव्य है कि न्यूयार्क के कपड़ा मिलों में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने शोषण के खिलाफ एकजुट होकर 8 मार्च 1857 को काम करने के अत्यंत खराब माहौल को ठीक करने, काम करने के समय, जो बहुत अधिक था उसे 10 घण्टे का करने के लिए और समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जुलूस निकाला और धरना दिया। फिर जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, संघर्षों को दमन के द्वारा समाप्त किया गया था, शोषण के खिलाफ चर्चा फिर भी होती रही भले ही कोई मुखर आन्दोलन नहीं हुआ। 8 मार्च 1908 को पुनः महिला कर्मचारियों ने जिसमें सुई उद्योग में कार्यरत महिलाओं का नेतृत्व रहा, काम के घण्टे कम करने, समान काम के लिए समान वेतन और वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष किया। फिर संघर्षों के अनेक दौर चले और इन संघर्षों से कुछ उपलब्धियां भी हासिल हुई जिसने संघर्षरत कर्मचारियों में उत्साह भरा। कोपेनहेगेन में जब 1910 में महिला कर्मचारियों का दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तब जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सचिव क्लारा जेटकिन ने, जैसे 1909 में अमेरिका में महिला दिवस मनाया गया, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च को महिला दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा जो महिला कर्मचारियों के श्रम कानूनों, मताधिकार और शांति को समर्पित होगी। यह प्रस्ताव आम सहमति से माना गया। 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का यही इतिहास है।

एक सदी बीत चुकी है अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए, महिलाओं का संघर्ष अब भी जारी है – कामकाजी महिलाओं का संघर्ष–काम के सही दाम, समान काम के लिए समान वेतन, कार्यस्थल पर महिलाओं हेतु मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु। सामान्य नागरिक समझा जाये, घरेलू काम को मान्यता दी जाये, भेदभाव समाप्त किया जाये, अपने विषय में निर्णय लेने का अधिकार हो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर समस्त महिलाओं का संघर्ष जारी है। पूरी दुनिया में महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है जबकि विश्व के 119 देशों में इसके विरूद्ध कानून हैं इससे जाहिर है कानून बना देने मात्र से घरेलू हिंसा की मानसिकता नहीं बदलती। विकसित–विकासशील देश शिक्षित–अनपढ़, धनी–निर्धन, रोजगार–बेरोजगार कोई मायने नहीं रखता, घरेलू हिंसा हर स्तर पर जारी है। यह महिलाओं को शारीरिक चोट के साथ अवसाद की ओर ले जाती है। धर्मगुरूओं का फरमान आता है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि मां बनना या ना बनना महिला का अपना निर्णय होगा किन्तु हमारा समाज महिला को निर्णय लेने का अधिकार कहां देता है।

विडम्बना है कि हमारे देश में महिला ही विद्या की देवी (सरस्वती) है किन्तु उसे शिक्षा का अधिकार बहुत मुश्किल से मिला, धन की देवी (लक्ष्मी) है किन्तु धन पर महिलाओं का नियंत्रण नजर ही नहीं आता, शक्ति की देवी (दुर्गा) है और महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का संस्कृतिकरण इस तरह से

किया जाता है कि उनमें सवाल करने की क्षमता ही विकसित न हो। विकास के जो पैमाने बताये जा रहे हैं उसमें महिलाएं पढ़ी-लिखी तो हों पर उनकी आदर्श सीता और सती हो। महिलाएं जब आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो कभी शैक्षणिक योग्यता, कभी कर्ज, कभी घर में शौचालय का न होना जैसे पैमाने तय करके उन्हें पंचायत तक का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। महिलाओं के पहनावे को अपराध का कारण बताने वाले मंत्री, अफसर और पंचायतें लड़कों के संस्कार पर कुछ नहीं कहते। मंदिर तो सार्वजनिक स्थान है, वहां जाने से रोकना सिद्ध करता है कि सार्वजनिक सम्पत्ति में उनकी भागीदारी को नकारा जाता है। शनि मंदिर, शबरीमाला और हाजी अली में प्रवेश के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उन्हें प्रवेश मिला। निश्चित रूप से यह उनके आत्म-विश्वास में वृद्धि करेगा कि वो संघर्ष करेंगी तो विजय हासिल कर अपने हकों को प्राप्त कर सकती है। इस आत्म-विश्वास के साथ विधायिका में महिलाओं हेतु आरक्षण के संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिये।

25 वर्ष हो गये हैं हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू हुए तब कहा जाता था कि वैश्वीकरण के बाद महिलाएं पितृ सत्तात्मक व्यवस्था से मुक्त हो जायेंगी किन्तु वैश्वीकरण के बाद पूंजी उनसे अपना मनचाहा कार्य करवाने लगी क्योंकि महिला को सचेत बनाने में उसकी कोई रूचि नहीं थी, उसे शरीर और वस्तु समझाये रखने में मुनाफा जो है। विज्ञापनों व फिल्मों में सुंदर महिला को ही प्रस्तुत किया जाता है जो बाजार का मोहक और आवश्यक अंग है यहां तक कि साहित्य में भी आम तौर पर मेहनतकश (खेती करने वाली या मजदूरी करने वाली) महिला नायिका नहीं होती। बाजार केवल उन चीजों को सामने रखता है जिसमें मुनाफा हो, सरकार भी इसमें पीछे नहीं है - निर्भया प्रकरण को केन्द्रित कर बनाई गई फिल्म "India's daughter" को सरकार ने यह कह कर प्रतिबंधित कर दिया कि इससे 'पर्यटन' पर बुरा असर पड़ेगा अर्थात भारत की शान बचाओ देश की महिलाओं को नहीं। इसी तरह अगस्त 2016 में सरकार ने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है अब श्रम कानून में संशोधन कर सरकार 40 मजदूरों तक के कारखानों को छोटे कारखाने मानकर उन्हें मातृत्व अवकाश सहित 14 श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर रही है, ऐसे में यह मातृत्व लाभ केवल दिखावे की चीज रह जायेगी।

इन परिस्थितियों में जब समाज और सरकार का रवैय्या महिलाओं के पक्ष में नजर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय (मंदिर प्रवेश, स्त्री धन से वंचित करना घरेलू हिंसा) सकारात्मक लगते हैं, उम्मीद जगाते हैं किन्तु यह सच है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समानता नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें अपनी तरह की विचारधारा वालों के साथ मिलकर काम करना होगा। CZIEA, AIIEA के निर्देशों के तहत अपने सदस्यों को सांगठनिक, सामाजिक, राजनैतिक तौर पर लगातार शिक्षित करती रही है, जागरूक नागरिक के रूप में उन्हें विकसित करने के प्रयास करती है जिससे यह जागरूकता समाज के अन्य हिस्सों में प्रसारित हो साथ ही रूढ़िवाद, अंध-विश्वास और गलत परम्पराओं को समाप्त किया जा सके।

आज जब L.P.G. नीति को लागू हुए 25 वर्ष हो गये हैं, इसके खिलाफ हमारे संघर्षों की भी रजत जयंती है। हमारे संघर्षों के चलते ही हमने अब तक LIC को सार्वजनिक उद्योग के रूप में बचाये रखा है। अब हमें और तीव्र और सतर्क संघर्ष के लिए हर क्षण तैयार रहना है। सरकार GIC के विनिवेशीकरण का निर्णय लेकर इसे शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करने जा रही है, इसके साथ ही अनेक उद्योगों की सूची तैयार कर ली गई है। हमारे LIC के हीरक जयंती पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह कह कर अपनी मंशा जता दी है कि यदि LIC को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध किया जाये तो यह सबसे ऊपर होगी। अपने उद्योग के साथ सभी पब्लिक सेक्टर उद्योगों को बचाने के संघर्ष से ही हम कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ ही RPTs का up-gradation, पेंशन का एक अवसर, नई भर्ती, AIIEA को मान्यता के साथ 1 अगस्त 2017 से वेतन पुनर्निर्धारण का संघर्ष हमारे सामने है। इन संघर्षों में शत-प्रतिशत भागीदारी दर्ज करें। संघर्ष करते हुए CZIEA के रजत जयंती वर्ष को उत्सवित भी करें। आप सबसे अनुरोध है कि 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी मंडलीय और शाखा इकाईयों में सभा, सेमीनार और गोष्ठियों का आयोजन करें और बिरादराना संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी दर्ज करें, यह भी संघर्ष के आयाम हैं।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

आपकी साथी

(उषा परगनिहा)

संयोजिका

PREM PRINTERS # 9575647120